65

संख्या 274 /उन्तीस(2)/12-2(121पे0)/2009

प्रेषक,

जी0बी0ओली
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक30 मार्च, 2012**

विषय– वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के मरम्मत/रखरखाव हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 5046/आ0ले0–2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद देहरादून में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की मरम्मत/रख–रखाव हेतु संलग्न बीएम–15 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदानान्तर्गत बचतों से कुल ₹ 27.36 लाख (₹ सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

3– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

3– व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः..2.

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैंस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलापूर्ति कार्यकम–05–नगरीय पेयजल–05–हैण्डपम्पों की मरम्मत/रखरखाव आयरन रिमुवल यंत्र हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 266/XXVII(2)/2012, दिनांक 30 मार्च 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–बी0एम0–15

भवदीय,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 2746/उन्तीस(2)/12–2(121पे0)/2009तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6–निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून उत्तराखण्ड।
7–सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8–वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9–निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13–निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

प्रपत्र बी0एम0–15 /पुर्नविनियोग विवरण
पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन

अनुदान संख्या–13

(धनराशि रू0 हजार में)

कुल बजट प्राविधान सहित लेखाशीर्षक (आयोजनागत)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है एवं स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशैष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215–जलापूर्ति तथा सफाई			(क) आवश्यकता न होनें के कारण (ख) परिव्यय के विपरीत बजट प्राविधान इतना कम होनें के कारण।
01–जलपूर्ति– आयोजनागत				01–जलपूर्ति–आयोजनागत			
101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				101–शहरी जलपूर्ति कार्यकम			
05–नगरीय पेयजल 06– पम्पिग योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान (2215–01–101–05–01 से रखरखाव हेतु)				05–नगरीय पेयजल 05– हैण्डपम्पों की मरम्मत/ रखरखाव आयरन रिमुवल यंत्र हेतु अनुदान।			
20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 60000	57264	–	2736(क)	20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 2736(ख)	8736	57264	
योग:– 60000	57264	–	2736	2736	8736	57264	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नही होता है ।

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्याः 266 (A)(I)/ XXVII-(2) /2012
देहरादून : दिनांकः 30 मार्च, 2012
पुर्नविनियोग स्वीकृत
ह0
(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव वित्त

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड।

संख्या 274 (क)/उन्तीस/10–2–(121पे0)/2009, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूच्नार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें 2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3–वित्त अनुभाग–2 4–जिलाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव